MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

SHRI K LAKKAPPA: I introduce the Bill.

---

**15 31 hrs.**

## MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (AMENDMENT) BILL*

*Amendment of Sections 21, 22 etc.*

SHRI SOUGATA ROY (Barrackpore): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969."

*The motion was adopted.*

SHRI SOUGATA ROY: I introduce the Bill.

---

**15.32 hrs.**

## JUTE MILL COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL*

SHRI SOUGATA ROY (Barrackpore): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of undertakings of the Jute mill companies.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of undertakings of the jute mill companies."

*The motion was adopted.*

SHRI SAUGATA ROY: I introduce† the Bill.

---

**15.33 hrs.**

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—contd.

*(Omission of article 310. etc.) by Shri Bhagat Ram*

MR DEPUTY-SPEAKER. We continue with the further consideration of the Constitution (Amendment) Bill moved by Shri Bhagat Ram He was on his legs.

श्री भगत राम (फिल्लौर) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, पिछले 9 मार्च को मैंने बोलते हुए कहा था कि हमारे कान्स्टीट्यूशन की जो धाराएं 310 और 311 हैं, उनके द्वारा हमारे सेन्टर के 30 लाख और स्टेट्स के 40 लाख एम्प्लाईज के डेमोक्रेटिक राइट्स को छीना गया है। यही नहीं, बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि ये जो हमारे कांस्टीट्यूशन की धाराएं हैं, ये बिल्कुल एन्टी डेमोक्रेटिक हैं और ये प्राकृतिक न्याय की भी विरोधी है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको मालूम ही है कि चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे स्मगलर हो, चाहे कोई कातिल हो, सब को अपने डिफेंस का राइट है। परन्तु इन धाराओं के द्वारा, जिन एम्प्लाईज पर ये धाराएं लागू की जाती हैं, उनको प्राकृतिक न्याय भी नहीं मिलता है जब कि कोई चोरी करे, डाका डाले, स्मगलिंग करे, कत्ल करे, उसको प्राकृतिक न्याय मिलता है। उनको अपना पक्ष पेश करने का हक है। लेकिन जिन लोगों पर ये धाराएं लागू होती हैं, उनको अपना डिफेंस करने का कोई हक लागू नहीं होता है। ये धाराएं जहां बेहूदा हैं, एन्टी डेमोक्रटिक हैं वहां ये धाराएं प्राकृतिक न्याय की भी विरोधी हैं। इन धाराओं को हमारे संविधान से खारिज करने के लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में जो एम्प्लाईज की यूनियनें हैं, फेडरेशंस हैं, वे दसियों सालों से संघर्ष करती चली आ रही हैं और यह मांग करती चली आ रही हैं कि इनको हमारे संविधान से खत्म किया जाए।

---

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 23-3-1979.

†Introduced with the recommendation of the President.